राजस्व अपील संख्या – 34 / 2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024 / 52

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 34 / 2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024 / 52

अपीलांट्स:–

1. गवरी देवी पुत्री श्री गोविंदराम पत्नी श्री गजाराम उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बेलवा, जिला जोधपुर।
2. समदा देवी पुत्री श्री गोविंदराम पत्नी श्री पांचाराम उम्र 53 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बस्तवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. ओमाराम पुत्र श्री धर्माराम
2. अनोपाराम पुत्र श्री धर्माराम
3. मीरा देवी पत्नी श्री धर्माराम
4. सुमेरी देवी पत्नी श्री धर्माराम
5. लखाराम पुत्र श्री गायडराम
6. भींयाराम पुत्र श्री गायडराम

   सभी जातियान मेघवाल निवासीगण केतु कला तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
7. तहसीलदार, बालेसर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 117 दिनांक 19.05.1989 को तहसीलदार, शेरगढ द्वारा पारित किया गयां

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री ए.आर. बेनीवाल (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री रामविलास मुण्डेल (प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री नरेश जैन (प्रत्यर्थी सं. 5 व 6 की ओर से)

निर्णय

दिनांक– 30.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार शेरगढ द्वारा ग्राम केतु मनावता (नवसृजित ग्राम रामनगर) पटवार हल्का केतु कला

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(नया केतु मदा), तहसील शेरगढ (नई तहसील सेखाला) के नामांतरकरण सं. 117 पर पारित आदेश दिनांक 19.05.1989 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को पेश की गई है।

2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री गोविंद जोशी, रामविलास मुण्डेल, संतोष, नरेश जैन अधिवक्तागण ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार, सेखाला से मूल नामांतरकरण प्राप्त हुआ।

3. अपील मीमों के अनुसार प्रकरण के सारवान व संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पिता गोविंदराम के नाम से ग्राम केतु मदा (नया ग्राम रामनगर) के ख.नं. 106 रकबा 0.11 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 46–05 बीघा, ख.नं. 107/1 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 108 रकबा 27–14 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 74–14 बीघा भूमि आई हुई है। गोविंदराम का देहांत होने पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 117 से उक्त भूमि सिर्फ गोविंदराम के पुत्र धर्माराम, गायडराम एवं श्रीमती मथुरा देवी के नाम दर्ज की गई। वर्तमान में उक्त धर्माराम, गायडराम व मथुरा देवी का देहांत हो चुका है तथा प्रत्यर्थीगण के नाम विवादित आराजी रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट्स स्वर्गीय गोविंदराम की जायंदा पुत्रियां होने से, वे हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है, परंतु आक्षेपित नामांतरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने से अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जावे तथा आक्षेपित नामांतरकरण पर पारित आदेश निरस्त किया जावे। आक्षेपित आदेश एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट्स अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज काश्त है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.आर. बेनीवाल ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पुश्तैनी भूमि में पुत्रियों का जन्म से ही पिता की संपति में हक व हिस्सा है। फिर भी मनमाने तरीके से पुत्रियों को अपने हक से वंचित कर दिया है। उक्त नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट्स को सर्वप्रथम एस.डी.ओ. कोर्ट बालेसर में धर्माराम के पुत्र ओमाराम वगैरा द्वारा धारा 53 व 188 के तहत प्रस्तुत दावे दिनांक 29.08.2017 के नोटिस प्राप्त होने पर हुई। उसके बाद आक्षेपित नामांतरकरण की नकल पटवारी से लेकर यह अपील पेश की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। अतः अपील को अंदर म्याद माना जाकर अपील को मेरिट पर सुना जावे तथा अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में AIR 2020 SC 3717 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा तथा RRT 2022(2) 1137 प्रेम सिंह बनाम सुगन कंवर की नजीरे पेश की।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि यह अपील 1989 के आदेश के खिलाफ दिनांक 10.04.2018 को पेश की है तथा दिनांक 12.03.2018 को सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन प्रार्थना पत्र में किया है। देरी को क्षम्य करने के कारण पर्याप्त व संतोषजनक नहीं है। अतः अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावे।

   अपीलांट्स का विवाद अपने भतीजों के साथ है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 में किया गया संशोधन पूर्वगामी तिथि से नहीं है। नामांतरकरण सन् 1989 में ही दर्ज हो गया था। अतः अपीलांट्स को–पारसनरी संपति में अब हिस्सा नहीं मांग सकता। अतः अपील खारिज की जावे।

7. प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 तक की उक्त बहस के प्रत्युत्तर में अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 6 के अंतर्गत पुत्रियों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार प्राप्त है तथा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को बराबर हक मिलेगा। प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 तक की ओर से उपखण्ड अधिकारी कोर्ट, बालेसर में दायर वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज. टिनेन्सी एक्ट अभी तक लंबित है, जिसमें अपीलांट्स पक्षकार को नोटिस प्राप्त होने पर ही सर्वप्रथम गलत नामांतरकरण सं. 117 की जानकारी हुई है। अतः अपील अंदर म्याद पेश की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

8. प्रत्यर्थीगण सं. 5 व 6 की ओर से श्री नरेश जैन, अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया।

10. (a)पत्रावली उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम केतु मनावता (नया ग्राम रामनगर) के ख.नं. 106 रकबा 0–11 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 120–05 बीघा, ख.नं. 107/1 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 108 रकबा 27–14 बीघा कुल खसरा 4 कुल रकबा 148–14 बीघा नामांतरकरण सं. 117 के अनुसार गोविंदराम पुत्र अमराराम के नाम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

खातेदारी में दर्ज है। पटवारी केतु कला ने दिनांक 05.04.1989 को नामांतरकरण सं. 117 ग्राम केतु मनावता खातेदार गोविंदराम को फौत बताकर, जायंदा पुत्र धर्मारांम, गायडराम पिता गोविंदराम तथा पत्नी मुथरा के नाम दर्ज किया है, जिसे तहसीलदार, शेरगढ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 19.05.1989 को स्वीकृत किया है, जिसको निरस्त करने हेतु यह अपील दिनांक 10.04.2018 को पेश की गई है।

(b)अपीलांट्स ने ख.नं. 107 का रकबा 46–05 बीघा बताया है, जबकि नामांतरकरण में यह 120–05 बीघा दर्ज है। कुल रकबा 74–14 बीघा बताया है, जबकि नामांतरकरण में 148–14 बीघा दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स ने ख.नं. 107 की 74 बीघा भूमि पर से अपना हक छोड दिया है, जो अन्य को हस्तांतरित की जा चुकी है।

(c)ग्राम रामनगर (पुराना ग्राम केतु मनावता) की "अपना खाता पोर्टल" पर उपलब्ध अंतिम चौसाला आधार संवत् 2078–2081 जमाबदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 2 अनुसार खसरा सं. 106 रकबा 0.0890 हैक्टर, ख.नं. 107 रकबा 7.4867 हैक्टर, ख.नं. 107/1 रकबा 0.0324 हैक्टर तथा ख.नं. 108 रकबा 4.4839 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 12.0920 हैक्टर (74–14 बीघा) का इन्द्राज इस प्रकार पाया गया–

1. अनोपाराम पुत्र धर्माराम हिस्सा–5/36
2. ओमाराम पुत्र धर्माराम हिस्सा– 5/36
3. कमला देवी पुत्री गायडराम हिस्सा– 5/216
4. गंवरा देवी पुत्री गोविंद राम हिस्सा –1/12
5. चन्द्रो देवी पुत्री गायडराम हिस्सा– 5/216
6. भींयाराम पुत्र गायडराम हिस्सा–35/216
7. मीरों देवी पत्नी धर्माराम हिस्सा –5/36
8. लखाराम पुत्र गायडराम हिस्सा –35/216
9. सुजो देवी पुत्री गायडराम हिस्सा –5/216
10. समदा देवी पुत्री गोविंदराम हिस्सा –1/12
11. हवा देवी पुत्री गायडराम हिस्सा–5/216

उक्त अभिलेखीय स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में वर्णित खसरा नंबर व रकबे की समस्त भूमियों में वर्तमान में अपीलांट्स के नाम जमाबंदी में 1/12 हिस्सा के रूप में खातेदार दर्ज है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(d)निर्विवाद है कि न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालेसर में एक राजस्व वाद ओमाराम वगैरा बनाम लखाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्व टिनेन्सी एक्ट 1955 पेश किया गया है, जिसमें अपीलांट्स आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रतिवादी सं. 4 व 5 के रूप में संयोजित है तथा अपीलांट्स की ओर से उक्त वाद में जवाबदावा के साथ "काउण्टर क्लेम" भी दिनांक 25.04.2018 को पेश किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रतियां अपीलांट्स द्वारा इस अपील में पेश की गई है। उक्त जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में अपीलांट्स ने स्वयं को विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 106, 107, 107/1, 108 की 74–14 बीघा भूमि में खातेदार घोषित करने व बंटवारा करने की डिक्री जारी करने की इस्तदुआ मांगी है।

(e)विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसके माध्यम से पक्षकारों के हक, स्वत्व व अधिकारों को निर्धारित नहीं किया जा सकता तथा न ही नामांतरकरण से किसी के हक वगैरा में कमी–बेशी की जा सकती है।

पक्षकारों के मध्य हक, स्वत्व व अधिकारों का सही ढंग से विधिमान्य निर्धारण, सिर्फ नियमित वाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है तथा इस प्रकरण में सक्षम न्यायालय में नियमित राजस्व वाद लंबित है जिसमें अपीलांट्स प्रतिवादी सं. 4 एवं 5 के रूप में संयोजित है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी अपीलांट्स का नाम उपरोक्त पैरा सं. 10(c) अनुसार जमाबंदी में दर्ज है।

11. उपरोक्त विस्तृत विवेचनानुसार अपीलांट्स के नाम अधिकार अभिलेख–जमाबंदी में सह खातेदार के पूर्व में पहले से ही दर्ज है तथा सक्षम राजस्व न्यायालय में नियमित वाद, बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व आराजी विभाजन (बंटवाडा) का लंबित होने से, नामांतरकरण की इस संक्षिप्त व समरी फिस्कल प्रकार की कार्यवाही में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से, यह अपील निष्प्रभावी होने से उपरोक्तानुसार प्रेक्षण (ऑब्जर्वेशन) के साथ एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

12. निर्णय की प्रति के साथ संबंधित तहसीलदार के मूल अभिलेख नामांतरकरण सं. 117 दिनांक 21.10.1966 ग्राम केतु कला तथा नामांतरकरण सं. 117 दिनांक 19.05.1989 ग्राम केतु मनावता को लौटाया जावे।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 34/2024
जी सी एम एस नम्बर – 2024/52

13. प्रकरण में लंबित समस्त प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

14. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर